भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 925

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

पालना योजना

925. श्री चिन्तामणि महाराज :

डॉ. भोला सिंह :

श्री अरुण गोविल :

श्रीमती कमलेश जांगड़े :

श्री दिलीप शइकीया :

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा :

श्रीमती संध्या राय :

डॉ. राजेश मिश्रा :

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर :

कैप्टन बृजेश चौटा :

श्री विद्युत बरन महतो :

श्री दिनेशभाई मकवाणा :

श्री लुम्बाराम चौधरी :

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :

श्रीमती कमलजीत सहरावत :

श्री जनार्दन मिश्रा :

श्री जुगल किशोर :

श्री सुरेश कुमार कश्यप :

श्री राजकुमार चाहर :

डॉ. संजय जायसवाल :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पालना योजना बाल कल्याण, प्रारंभिक बचपन विकास तथा कार्यरत माताओं को सहायता प्रदान करने में किस प्रकार योगदान देती है;

(ख) उपरोक्त योजना का दो के अर्ध-शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों में, विशेषकर महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी में सुधार पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार का अगले वित्तीय वर्ष में उक्त योजना के अंतर्गत नए आंगनवाड़ी-सह-शिशु देखभाल केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार एवं जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) देश में इस योजना के कार्यान्वयन की राज्यवार एवं जिलावार वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों को डे-केयर सुविधाएँ और सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2022 से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए व्यापक मिशन शक्ति के सामर्थ्य उप-योजना के अंतर्गत पालना योजना शुरू की है।

महिलाओं हेतु शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार पर सरकार की निरंतर पहलों के परिणामस्वरूप उनके रोज़गार के अवसर बढ़े हैं और अब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ घर के अंदर या बाहर काम करके लाभदायक रोज़गार प्राप्त कर रही हैं। उचित डे-केयर सेवाओं का अभाव अक्सर महिलाओं को बाहर जाकर काम करने से रोकता है। इसलिए, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों की कामकाजी महिलाओं के लिए डे-केयर सेवाओं/क्रेच की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

कामकाजी माताओं को अपने बच्चों की उचित देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने में आने वाली इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए पालना योजना के माध्यम से डे-केयर क्रेच सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। अब तक घरेलू काम का हिस्सा माने जाने वाले बच्चों की देखभाल संबंधी ज़िम्मेदारियों को क्रेच सेवाएँ औपचारिक रूप देती हैं। देखभाल कार्य को औपचारिक रूप देने से सतत विकास लक्ष्य 8 - सभ्य कार्य और आर्थिक विकास - को प्राप्त करने के लिए "सभ्य कार्य अभियान" को बल मिलेगा। इससे अधिक माताएँ अवैतनिक बाल देखभाल की ज़िम्मेदारियों से मुक्त होकर लाभकारी रोज़गार अपना सकेंगी।

आंगनवाड़ी केंद्र विश्व के सबसे बड़े बाल देखभाल संस्थान हैं जो बच्चों को आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित हैं और पंक्ति में अंतिम बच्चे तक देखभाल सुविधाएँ प्रदान करना सुनिश्चित करते हैं। अपनी तरह के प्रथम प्रयास में मंत्रालय ने आंगनवाड़ी सह क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से बाल देखभाल सेवाओं का विस्तार किया है। इससे पूरे दिन बाल देखभाल सहायता सुनिश्चित होगी और सुरक्षित वातावरण में उनका कल्याण सुनिश्चित होगा। आंगनवाड़ी सह क्रेच पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में 'महिला कार्यबल की भागीदारी' को बढ़ाना है। *पालना* योजना का उद्देश्य बच्चों (6 माह से 6 वर्ष की आयु तक) के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा, पोषण सहायता, बच्चों के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, विकास निगरानी और टीकाकरण प्रदान करना है। पालना के तहत क्रेच सुविधाएं सभी माताओं को प्रदान की जाती हैं, चाहे उनकी रोजगार स्थिति कुछ भी हो।

कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकें राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं, जहां इस बात पर जोर दिया जाता है कि वे अधिक आंगनवाड़ी-सह-क्रेच खोलने और उन्हें कार्यशील करने के लिए प्रस्ताव भेजें।

15वें वित्त आयोग के दौरान यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पालना योजना के तहत कुल 17,000 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) की स्थापना की परिकल्पना की गई है। एडब्ल्यूसीसी की स्थापना के प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र

प्रशासनों से प्राप्त होते हैं, जो इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अपना योगदान भी देते हैं। अब तक, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार मंत्रालय द्वारा कुल 14,599 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वीकृति दी जा चुकी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत आंगनवाड़ी-सह-क्रेच की जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

****

अनुलग्नक

"पालना योजना" के संबंध में दिनांक 25.07.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 925 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

स्वीकृत आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:-

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**अनुमोदित आंगनवाड़ी-सह-क्रेच केंद्र**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	8
2	आंध्र प्रदेश	108
3	अरुणाचल प्रदेश	86
4	असम	500
5	बिहार	504
6	चंडीगढ़	210
7	छत्तीसगढ़	1500
8	दिल्ली	502
9	गोवा	11
10	गुजरात	25
11	हरियाणा	628
12	हिमाचल प्रदेश	152
13	जम्मू और कश्मीर	317
14	झारखंड	1024
15	केरल	504
16	लद्दाख	7

17	लक्षद्वीप	8
18	मध्य प्रदेश	448
19	मणिपुर	702
20	मेघालय	1238
21	मिजोरम	200
22	नागालैंड	500
23	ओडिशा	1000
24	पुद्दुचेरी	86
25	पंजाब	148
26	सिक्किम	25
27	तमिलनाडु	600
28	तेलंगाना	1033
29	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	190
30	त्रिपुरा	114
31	उत्तराखंड	202
32	कर्नाटक	1664
33	महाराष्ट्र	345
34	पश्चिम बंगाल	10
	कुल	**14599**

****